

## भारत-जापान: धर्म गार्जयिन

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय और जापानी थल सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास '[धर्म गार्जयिन](#)' का पाँचवाँ संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। दस्तावेज़

### मुख्य बटु:

- दो सप्ताह का यह अभ्यास भारत और जापान में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक **वार्षिक अभ्यास** है।
  - **जापानी दल** का प्रतिनिधित्व **34वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट** के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है और **भारतीय सेना** का प्रतिनिधित्व **राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन** द्वारा किया जा रहा है।
- इस अभ्यास का उद्देश्य **संयुक्त राष्ट्र चार्टर** के तहत अर्द्ध-शहरी वातावरण में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिये **सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना** है।
- यह आयोजन उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास और विशेष हथियार कौशल की बुनियादी बातों पर केंद्रित होगा।

### राजपूताना राइफल्स

- यह भारतीय सेना की **सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट** है।
- यह मूल रूप से **ब्रिटिश भारतीय सेना** का एक हिस्सा था, जब पहले से मौजूद छह रेजिमेंटों को मिलाकर 6वीं राजपूताना राइफल्स की छह बटालियन बनाई गई थीं।
- वर्ष 1945 में शीर्षक से अंक पदनाम हटा दिया गया और वर्ष 1947 में रेजिमेंट को **नई स्वतंत्र भारतीय सेना** में स्थानांतरित कर दिया गया।
- आज़ादी के बाद से रेजिमेंट **पाकिस्तान के खिलाफ कई संघर्षों** में शामिल रही है, साथ ही वर्ष **1953-54 में संयुक्त राष्ट्र** के तत्वावधान में **कोरिया में कस्टोडियन फोर्स (भारत)** और वर्ष **1962 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र मशिन** में योगदान दिया है।

### संयुक्त राष्ट्र का चार्टर

- संयुक्त राष्ट्र का चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज़ है। इस पर **26 जून, 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किये गए और 24 अक्टूबर, 1945 को यह लागू हुआ**।
- संयुक्त राष्ट्र अपने अद्वितीय अंतरराष्ट्रीय चरित्र और अपने चार्टर में नहिती शक्तियों के कारण विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर कार्रवाई कर सकता है, जैसे एक **अंतरराष्ट्रीय संधि** माना जाता है।
  - इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर **अंतरराष्ट्रीय कानून का एक साधन** है और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश इससे बंधे हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)**, **संयुक्त राष्ट्र (UN)** का प्राथमिक न्यायिक निकाय, अपने कानून द्वारा संचालित होता है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अभिन्न अंग के रूप में संलग्न है।